जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 07.09.2023

आज दिनांक 07.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता अशरफ पुत्र मोह याकूब निवासी अशरफपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय, हे0कां0 रामरतन तिवारी, कां0 बब्बल यादव ।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1486 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत बाघनगर से इवेन्ट संख्या 01215 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों (1-मुशीर अहमद पुत्र मो0 आसिम, 2-मो0 आसिम निवासीगण करही थाना दुधारा, 3-धर्मेन्द्र कुमार निवासी पिपरा बोरिंग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 03 मिनट में पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 रणवीर कुमार कृष्णा, आ0 श्रीप्रकाश, हो0चा0 शिवकुमार गौड़।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 07.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।